संख्या-229/2024/आई/688095/23-1-24/001-23-1002(002)/111/2024

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 09 जुलाई, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से आजमगढ़ मण्डल के विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 28 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या- 8311/CE-HQ1/RSN5054/AZM/2024-25 , दिनांक 23-04-2024, पत्र संख्या- 8355/CE-HQ1/RSN5054/AZM/2024-25, दिनांक 24-04-2024, पत्र संख्या-8392/CE-HQ1/RSN5054/AZM/2024-25, दिनांक 26-04-2024, पत्र संख्या-8560/CE-HQ1/RSN5054/AZM/2024-25, दिनांक 03-05-2024, पत्र संख्या- 8679/CE-HQ1/RSN5054/AZM/2024-25, दिनांक 10-05-2024, पत्र संख्या- 8982/CE-HQ1/RSN5054/AZM/2024-25, दिनांक 05-06-2024, पत्र संख्या- 9046/CE-HQ1/RSN5054/AZM/2024-25, दिनांक 06-06-2024 एवं पत्र संख्या- 9267/CE-HQ1/RSN 5054/AZM/2024-25, दिनांक 28-06-2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **आजमगढ़ मण्डल के विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 28 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 27,40,78,000/- (रूपये सत्ताईस करोड़ चालीस लाख अठहत्तर हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख. आजमगढ़	रासेपुर तितरा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	302/2023/943 रासनि/23-1-23/001-05(बी) आरएसएन-एजेडएम/2023 टीसी-2 दिनांक-06-04-2023	3807.66 3807.66 1562.79 662.66 3145	951.91	2193.09	249.91

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
2	नि.ख.आजमगढ़	लालगंज लहुआ मार्ग तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1030 /2023 /आई /430541 /23-1-23/001-23-1002(002)/205 /2023 -दिनांक-21-11-2023	1894.89 1894.89 987.00 345.00 1549.89	473.72	1076.17	284.23
3	नि.ख.-2 आजमगढ़	ग्राम हरिहरपुर तक डेढ़-लेन सड़क के निर्माण के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	301/2023/945 रासनि/23-1-23/001-05(बी) आरएसएन-एजेडएम/2023 टीसी-3-दिनांक-06-04-2023	697.20 697.20 192.32 40.79 656.41	516.6	139.81	69.91
4	प्रा.ख.आजमगढ़	आजमगढ़ बिलरियागंज रौनापार मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज12.870 से 26.000 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	303/2023/948 रासनि/23-1-23/001-05(बी) आरएसएन-एजेडएम/2023 टीसी-1-दिनांक-06-04-2023	4366.76 4366.76 2448.04 518.23 3848.53	1978.85	1869.68	335.45
5	प्रा.ख.बलिया	गजियापुर मुहम्मदपुर इब्राहिमपट्टी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	122 /2024/आई/ 521747/23-1-24/001-23-1002(002) /82/2024 दिनांक-15-03-2024	1951.57 1951.57 1485.88 1.65 1949.92	115	1834.92	204.91
6	प्रा.ख.बलिया	बांसडीह बलिया-घोसी राज्य मार्ग सं0 107 के चैनेज45.07 कि0मी0 से इन्दरपुर, पाण्डेयपुर, चिन्तामनपुर, कुकरहा, कुरेजी होते हुए गड़वार रतसड़ तक मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	122 /2024/आई/ 521747/23-1-24/001-23-1002(002) /82/2024 दिनांक-15-03-2024	5125.72 5125.72 3869.27 0.27 5125.45	410	4715.45	256.28
7	नि.ख.मऊ	भीरा टेघना सम्पर्क मार्ग से आई0टी0आई0 एवं पालिटेक्निक कालेज तक सम्पर्क मार्ग।	113 /2024/आई/ 521428/23-1-24/001-23-1002(002)/ 78/2024-दिनांक-15-03-2024	137.69 137.69 94.82 4.75 132.94	22.84	110.1	51.61
8	नि.ख.मऊ	राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 29 से पकड़ी बुजुर्ग मार्ग का मरम्मत एवं सुधार कार्य।	53/2022/401 रासनि/23-1-21-09 रासनि/21-दिनांक-08-01-2022	489.54 489.54 385.38 5.00 484.54	365.15	119.39	47.58
9	नि.ख. आजमगढ़	चण्डेश्वर कम्हरिया मार्ग से बेलभद्रपुर सम्पर्क मार्ग का पुननिर्माण का कार्य।	816/2023/1360 रासनि/23-1-23/001-05(बी)/आरएसएन-एजेडएम/2023-दिनांक-29-08-2023	166.55 166.55 118.58 16.58 149.97	116.58	33.39	33.39
10	प्रा.ख. मऊ	बड़ागांव खानपुर पट्टी से पलिगढ़ हाल्ट मार्ग की मरम्मत एंव सुधार का कार्य।	53/2022/401 रासनि/23-1-21-09 रासनि/21-दिनांक-08-01-2022	86.13 86.13 63.87 3.21 82.92	72.00	10.92	10.92
11	नि.ख. बलिया	लखनऊ बलिया से कपूरी चेरूइया मोहान की मठिया मार्ग के उच्चीकरण के साथ पुनः निर्माण का कार्य	315/2021/654 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टी0सी0-दिनांक-30-11-2021	146.72 146.72 102.65 0.12 146.60	47.65	98.95	45.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
12	नि.ख.बलिया	बांसडीह मनियर मार्ग पर नोजा स्कूल से नन्नकुली सिंह के भट्टा होते हुए मनियर बड़ागांव मार्ग के निर्माण का कार्य।	344/2021/1151 रासनि/23-1-21-02 रासनि/21-दिनांक-13-12-2021	148.82 148.82 114.84 0.2 148.62	14.88	133.74	60.00
13	नि.ख. बलिया	भागीपुर माईनर रतनौली नहर की पास से हवलदार सिंह के खेत से राज किशोर के डेरा होते हुए बड़कीबारी गांव मनकी चैधरी के घर तक मार्ग के निर्माण का कार्य।	155/2021/688 रासनि/23-1-21-102 रासनि/20-दिनांक-16-07-2021	58.86 58.86 45.98 0.07 58.79	41.20	17.59	8.90
14	नि.ख. बलिया	खेमापुर से रतनौली सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य।	155/2021/688 रासनि/23-1-21-102 रासनि/20-दिनांक-16-07-2021	58.87 58.87 46.08 0.07 58.80	45.60	13.20	4.50
15	नि.ख. बलिया	मनियर बड़ागांव औडियार सड़क रामेश्वर पाठक के विद्यालय से पटखौली दक्षिण गांव की आबादी एवं प्राहोते हुए नहर की प्रा0 पटरी तक मार्ग के निर्माण का कार्य।	155/2021/688 रासनि/23-1-21-102 रासनि/20-दिनांक-16-07-2021	42.58 42.58 32.75 0.04 42.54	32.98	9.56	3.25
16	नि.ख. बलिया	टी0एस0 बन्धा से नक्का कारखाना रिगवान मठिया तक सी0सी0 से मार्ग का निर्माण कार्य	315/2021/654 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टी0सी0-दिनांक-30-11-2021	60.37 60.37 45.36 0.06 60.31	28.67	31.64	22.70
17	नि.ख. बलिया	टी0एस0 बन्धा धर्मपुरा से शुक्लपुर होते हुये जटहवा बाबा पटखौली सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	315/2021/654 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टी0सी0-दिनांक-30-11-2021	59.09 59.09 46.24 0.09 59.00	17.31	41.69	33.00
18	नि.ख. बलिया	बड़सरी लोहटा नहर के पटरी से विश्वनाथ चैधरी के घर से रतन के पोखरा होते हुये धसका मनियर के पास नहर की पटरी तक मार्ग का निर्माण कार्य	352/2021/740 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टी0सी0,-दिनांक-17-12-2021	131.58 131.58 102.94 0.11 131.47	111.52	19.95	1.43
19	नि.ख. बलिया	देवडीह हरदत्तपुर नहर पटरी से जी0डी0 पब्लिक स्कूल कनकपुरा हरदत्तपुर से प्रा0पा0 डुही मुंशी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	352/2021/740 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टी0सी0,-दिनांक-17-12-2021	89.86 89.86 69.81 0.10 89.76	77.09	12.67	1.00
20	नि.ख. बलिया	हनुमानगंज शंकरपुर मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1030 /2023 /आई /430541 /23-1-23/001-23-1002 (002)/205 /2023 - दिनांक-21-11-2023	1584.77 1584.77 1201.73 0.60 1584.17	396.19	1187.98	213.81

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
21	नि.ख. बलिया	एन0एच0-31 के कदम चैराहे से बेदुआ एवं निहोरा नगर होते हुए महाबीर घाट तक शहरी मार्ग (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	34 /2024 /आई/ 483716/23-1-24/001-23-1002 (002)/ 259/2023 - दिनांक-01-02-2024	988.16 988.16 698.45 0.41 987.75	247.04	740.71	222.20
22	नि.ख. बलिया	नरायनपुर सुरहाताल बघौता मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	35 /2024 /आई/ 483713/23-1-24/001-23-1002 (002)/ 224/2023 - दिनांक-01-02-2024	859.47 859.47 657.58 0.28 859.19	214.86	644.33	214.87
23	प्रा.ख. बलिया	पकवाईनार सिधारघाट मार्ग से नरनी होते हुए सम्बलपुर छितनहारा संपर्क मार्ग के निर्माण का कार्य	153/2021/289 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी-3- दिनांक-16-07-2021	226.61 226.61 184.47 0.19 226.42	113.31	113.11	39.75
24	प्रा.ख. बलिया	हथौज अजनेरा से बड़सरी जागीर ग्रामसभा तक मार्ग के निर्माण का कार्य।	235/2021/447 रासनि/23-1-21-02 रासनि/21 टी0सी0 दिनांक-26-10-2021	294.87 294.87 239.72 0.22 294.65	136.92	157.73	56.97
25	प्रा.ख. बलिया	लखनऊ बलिया राजधानी मार्ग (एन0एच0) के देवस्थली उचेडा चण्डा माॅ (सिद्वपीठ) तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	27/2022/1636 रासनि/23-1-21-83 रासनि/20-दिनांक-05-01-2022	835.16 835.16 669.58 4.68 830.48	617.57	212.91	48.50
26	प्रा.ख. बलिया	बलिया लखनऊ मुख्य मार्ग से पहाड़पुर ब्रम्ह स्थान से मुख्य बस्ती गोपाल पासवान के घर होते हुए पहाड़पुर हजौली मुख्य मार्ग तक मार्ग के निर्माण कार्य।	47/2021/1933 रासनि/23-1-21-02 रासनि/21-दिनांक-07-01-2022	54.62 54.62 43.09 0.1 54.52	42.26	12.26	4.26
27	प्रा.ख. बलिया	चिलकहर चोगड़ा मुख्य मार्ग पहाड़पुर लालबचन जी खेत से नहर होते हुए हजौली नरांव पी0डब्लू0डी0 मार्ग तक निर्माण कार्य।	47/2021/1933 रासनि/23-1-21-02 रासनि/21-दिनांक-07-01-2022	84.48 84.48 67.65 0.23 84.25	46.35	37.9	25.68
28	प्रा.ख. मऊ	खुरहट रानीपुर काझा सरसेना मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	37 /2024/आई/ 485087/23-1-23/001-23-1002(002)/ 19/2024 - दिनांक-02-02-2024	1816.88 1816.88 1290.09 167.73 1649.15	27.73	1621.42	190.77
						कुल योग-	**2740.78**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/ विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **कुल रू0 27,40,78,000/- (रूपये सत्ताईस करोड़ चालीस लाख अठहत्तर हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/ सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

संख्या-229/2024/आई/688095(1)/23-1-24/001-23-1002(002)/111/2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।